दिल्ली के उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि.) 8606/2007 और सि.वि.सं. 16222/2007

निर्णय उद्घोषित: 08.01.2014

मिगलानी केरोसिन ऑयल डिपो. .....याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री आर.पी लूथरा, अधिवक्ता

बनाम

रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार व अन्य ....प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री एस.डी सलवान व श्री लतिका दत्ता, अधिवक्तागण

कोरम :-

माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.एस. सिस्तानी

<u>जी.एस. सिस्टानी (मौखिक)</u>

1. पक्षकारों के अधिवक्तागण की सहमति से वर्तमान याचिका अंतिम सुनवाई के लिए निर्धारित की जाती है। इस याचिका के निपटान के लिए आवश्यक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता मेसर्स मिगलानी केरोसीन ऑयल डिपो को केरोसीन तेल वितरण के लिए लाइसेंस संख्या 2302/81 जारी किया गया था। उक्त केरोसीन ऑयल डिपो का संचालन

50 मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली के परिसर से किया जा रहा था। याचिकाकर्ता फर्म वर्ष 1981 से केरोसीन तेल वितरण के लिए लाइसेंस धारक है। याचिकाकर्ता फर्म के मालिक (कन्हैया लाल) की मृत्यु 02.10.2003 को हो गई तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी श्रीमती लीला कुमारी (याचिकाकर्ता फर्म की वर्तमान मालकिन) ने उनकी जगह ली तथा प्रत्यर्थी से पूर्व अनुमति लेकर मेसर्स मिगलानी केरोसीन ऑयल डिपो का कामकाज संभाला। इस संबंध में प्रत्यर्थीगण के आधिकारिक अभिलेख में आवश्यक संशोधन भी किए गए। इसके समर्थन में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दिनांक 30.12.2003 के कार्यालय आदेश संख्या एफएसी/एनई/एफ & एस/2003/5281 का हवाला दिया है, जिसके द्वारा लाइसेंस याचिकाकर्ता फर्म के वर्तमान मालिक के नाम पर स्थानांतरित किया गया था।

2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उसके बाद याचिकाकर्ता फर्म का लाइसेंस समय-समय पर 09.09.2008 तक नवीनीकृत किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से स्पष्ट रूप से तर्क दिया गया है कि श्रीमती लीला कुमारी द्वारा अपने पति (श्री कन्हैया लाई) के निधन के बाद डिपो का कार्यभार संभालने के बाद से याचिकाकर्ता के विरूद्ध किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं हुई है। हालांकि, सितंबर, 2007 में याचिकाकर्ता फर्म के वर्तमान मालिक को वर्ष 1994 में आवश्यक वस्तु

अधिनियम के तहत वर्तमान मालिक के पति के विरूद्ध पारित दोषसिद्धि आदेश के आधार पर कारण बताओ नोटिस दिया गया था कि याचिकाकर्ता का लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। वर्तमान स्वामी ने कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि जिस समय दोषसिद्धि का आदेश पारित किया गया था, उस समय याचिकाकर्ता फर्म श्री कन्हैया लाल (वर्तमान स्वामी के दिवंगत पति) के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में थी और उन्हें दोषसिद्धि और जुर्माने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालाँकि, प्रत्यर्थीगण ने वर्तमान स्वामी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया और दिनांक 15.11.2007 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया, जिसके कारण वर्तमान याचिका दायर की गई।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आरोपित आदेश अनुचित हैं, इसमें विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है और यह मनमाना है। यह भी तर्क दिया गया है कि इसी तरह की स्थिति वाले व्यक्तियों ने रिट याचिका संख्या 4030/2006 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसे मुख्य रूप से इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि पुरानी सामग्री पर भरोसा करना उचित नहीं है और कार्रवाई मनमानी थी। इस प्रकार यह तर्क दिया गया है कि वर्ष 1994 में वर्तमान मालिक के पति के विरूद्ध पारित दोषसिद्धि के आदेश के आधार

पर रद्दीकरण की कार्यवाही प्रत्यर्थीगण द्वारा उचित समय के भीतर शुरू/पारित की जानी चाहिए थी, न कि 13 साल की अवधि के बाद।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि केओडी (केरोसीन ऑयल डिपो) का लाइसेंस रद्द करने की प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई लंबे समय के बाद अनुचित है, इस तथ्य के मद्देनजर कि प्रत्यर्थीगण ने मालिक के नाम में परिवर्तन की अनुमति दी थी। वर्तमान मालिक के नाम पर नया लाइसेंस जारी करने के बाद भी प्रत्यर्थीगण ने अपने आचरण से मृतक श्री कन्हैया ल के कृत्य को माफ कर दिया है। यह भी तर्क दिया गया है कि वर्तमान मालिक के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं बची है, क्योंकि वह पुराना है और इस तथ्य के अनुसार कृत्य माफ किया जाता है कि कारण बताओ नोटिस 13 साल से अधिक के अंतराल के बाद जारी किया गया था और इस अवधि के दौरान समय-समय पर लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया था, यहाँ तक कि वर्तमान मालिक के नाम पर भी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का दूसरा तर्क यह है कि एक बार पिछले मालिक को दोषी ठहराए जाने के बाद याचिकाकर्ता फर्म को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सलवान ने इस आधार पर वर्तमान याचिका का विरोध किया है कि एक बार दोषसिद्धि का आदेश पारित हो

जाने के बाद, प्रत्यर्थीगण दिल्ली केरोसीन तेल (निर्यात एवं मूल्य) नियंत्रण आदेश 1962 की धारा 6 के अनुसार याचिकाकर्ता फर्म का लाइसेंस रद्द करने के अपने अधिकार के अंतर्गत हैं, जो इस प्रकार है:

"6. लाइसेंस के नियमों और शर्तों का उल्लंघनः

(1) यदि कोई लाइसेंसधारी या उसका एजेंट या सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति इस आदेश की किसी शर्त या निर्देश या किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो लाइसेंसधारी के विरुद्ध कानून के अनुसार की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आयुक्त द्वारा लिखित आदेश द्वारा उसका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।

दिनांक 15.2.80 के आदेश के खंड 6(1) का परंतुक

(2) उप-खण्ड 1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि आयुक्त को यह विश्वास हो कि लाइसेंसधारी ने लाइसेंस की किसी शर्त या खण्ड 3-घ के अन्तर्गत जारी निर्देशों या इस आदेश के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है और उसका लाइसेंस रद्द किया जाना आवश्यक है, तो वह लाइसेंसधारी को प्रस्तावित रद्दीकरण के विरुद्ध अपना मामला प्रस्तुत करने का उचित अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश के द्वारा उसका लाइसेंस कर सकता है तथा इसकी एक प्रति वह लाइसेंसधारी को प्रेषित करेगा।

(3) इस खंड में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी लाइसेंसधारी को लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन या इस आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया

जाता है, वहां लाइसेंस प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है।

बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी दोषसिद्धि के विरुद्ध दायर अपील, यदि कोई हो, खारिज नहीं हो जाती और जहां ऐसी कोई अपील दायर नहीं की जाती, वहां अपील दायर करने की समय-सीमा समाप्त होने तक ऐसा आदेश पारित नहीं किया जाएगा।"

6. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने कहा कि एक बार जब पिछले मालिक ने उल्लंघन किया और उसे दोषी ठहराया गया तो प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता फर्म का लाइसेंस रद्द करने के लिए बाध्य थे।

7. मैंने पक्षोकारों के अधिवक्तागण की बात सुनी है और याचिका के साथ-साथ याचिका के साथ दायर अनुलग्नकों का भी अवलोकन किया है। मूल तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता फर्म मेसर्स मिगलानी केरोसीन ऑयल डिपो का व्यवसाय शुरू में स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल द्वारा किया जाता था और उन्हें वर्ष 1981 में लाइसेंस प्रदान किया गया था। श्री कन्हैया लाल के विरूद्ध इस मामले में दोषसिद्धि का आदेश वर्ष 1994 में पारित किया गया था। यह भी विवाद में नहीं है कि श्री कन्हैया लाल की मृत्यु 02.10.2003 को हुई थी, जिस तिथि को दोषसिद्धि का आदेश पहले ही पारित किया जा चुका था। यह निर्विवाद है कि जब तक वर्तमान स्वामी का पति जीवित था, तब तक दिल्ली केरोसिन तेल (निर्यात और मूल्य)

नियंत्रण आदेश 1962 की धारा (6) के अनुसार उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि, प्रत्यर्थीगण को दोषसिद्धि के आदेश के बारे में पता था, उस समय उन्होंने इसे अनदेखा करने का निर्णय लिया और उसकी पत्नी श्रीमती लीला कुमारी (याचिकाकर्ता फर्म की वर्तमान स्वामिनी) को अपने पति के स्थान पर पदभार ग्रहण करने की अनुमति दी; और उसके अनुरोध पर प्रत्यर्थीगण ने आवश्यक संशोधन किए और अनुवर्ती लाइसेंस जारी किए तथा समय-समय पर श्रीमती लीला कुमारी (याचिकाकर्ता फर्म की वर्तमान स्वामिनी) के पक्ष में उसका नवीनीकरण किया, जो एक अलग व्यक्ति है। 13 वर्ष से अधिक समय के बाद ही केओडी(केरोसीन ऑयल डिपो) रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और लाइसेंस रद्द कर दिया गया क्योंकि प्रत्यर्थीगण के अनुसार याचिकाकर्ता को 1962 के आदेश के अनुसार आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

8. बेशक, याचिकाकर्ता फर्म के विरुद्ध 13 साल से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार मेरे विचार में पिछले लाइसेंस धारक द्वारा किए गए कृत्य के लिए याचिकाकर्ता फर्म के वर्तमान मालिक के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अन्यथा भी 13 साल तक कोई कार्रवाई नहीं करना और इसके विपरीत समय-समय पर याचिकाकर्ता

फर्म के लाइसेंस का नवीनीकरण करना गलत काम करने वाले के कृत्य को माफ करने के बराबर होगा; और 13 साल बाद, प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता के विरूद्ध कार्रवाई करने से रोका जाता है क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं के आचरण से अपने अधिकारों का त्याग कर दिया है। सरकार को निष्पक्ष, न्यायसंगत और शीघ्रता से कार्य करना चाहिए। प्रत्यर्थी की ओर से देरी और निष्क्रियता के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के पक्ष में मूल्यवान अधिकारों का निर्माण हुआ है।

9. यह स्थापित कानून है कि एक वैधानिक प्राधिकरण को उचित, निष्पक्ष और शीघ्रता से कार्य करने की आवश्यकता होती है। प्रत्यर्थीगण ने न केवल अपने अधिकार के बारे में निर्णय लेने में देरी की, बल्कि इस गंभीर देरी के लिए कोई उचित और तर्कसंगत स्पष्टीकरण भी नहीं है, और इस प्रकार, प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता फर्म के विरूद्ध कोई भी कार्रवाई करने के अपने अधिकार को छोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता फर्म के वर्तमान मालिक के नाम पर लाइसेंस हस्तांतरित करने के लिए सहमत होकर याचिकाकर्ता फर्म के पिछले लाइसेंस धारक के कृत्य को माफ कर दिया है; इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता को यह उचित विश्वास दिलाया है कि उसका अधिकार और स्वामित्व उचित है और उससे छेड़छाड़ न की जाए,

इसलिए, पिछले लाइसेंसधारी के कृत्यों के लिए वर्तमान मालिक का लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता है।

10. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति वाधवा समिति की रिपोर्ट पर भरोसा जताया है। उपरोक्त तथ्यों और टिप्पणियों के आलोक में, प्रत्यर्थी इस स्तर पर अपनी निष्क्रियता या रिपोर्ट के निष्कर्षों का लाभ नहीं उठा सकते।

11. उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता फर्म के वर्तमान मालिक को दंडित नहीं किया जा सकता है, इस स्तर पर तो और भी अधिक क्योंकि प्रस्तुत कार्य वर्तमान लाइसेंस धारक द्वारा कभी नहीं किया गया था। एक पक्षकार तर्कसंंगत रूप से कार्य करने के लिए बाध्य है व एक वैधानिक प्राधिकरण तो इससे भी अधिक (बाध्य है)। प्राधिकरण का कर्तव्य था कि वह याचिकाकर्ता के अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के उचित रूप से कार्य करे। यह देखते हुए कि प्राधिकरण ने स्वयं याचिकाकर्ता के लाइसेंस का नवीनीकरण किया है, उन्होंने स्वयं पहले की सजा को माफ कर दिया है। इसके अतिरिक्त उचित समय के भीतर कार्य न करके और याचिकाकर्ता फर्म के वर्तमान मालिक के नाम पर लाइसेंस का नवीनीकरण करने के लिए सहमत होकर, प्रत्यर्थी ने उसे यह मानने के

लिए एक उचित कारण दिया है कि उसके पक्ष में एक अधिकार अर्जित हुआ है।

12. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थीगण ने लाइसेंस को याचिकाकर्ता फर्म के वर्तमान मालिक के नाम पर स्थानांतरित करने का निर्णय किया, और सजा के आदेश के बावजूद प्रत्यर्थी द्वारा पिछले लाइसेंस धारक यानी श्री कन्हैया लाई के जीवनकाल के दौरान याचिकाकर्ता के विरूद्ध कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई, प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई किए गए अपराध को माफ करने के बराबर है। तदनुसार, निरस्तीकरण का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है।

13. नियम को पूर्ण, शर्त रहित व अंतिम माना जाता है। याचिका और आवेदन का निपटान उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है। पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा।

न्या, जी. एस. सिस्तानी,

जनवरी 08, 2014
'एसएसएन '

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*